

फा.सं. F. 1/75(17)/2021-R.1  
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION  
RECRUITMENT-1 SECTION

पद का नाम:	आयुष निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर (यूनानी- जराहत).
विज्ञापन संख्या:	04/2022
भर्ती के मामले रिक्ति संख्या:	22020404126
साक्षात्कार की तिथि	बाद में घोषित किया जाएगा।

- तौरतरीके-
- (i)ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा भरी गई जानकारी और ओआरए के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों प्रमाण पत्र के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न स्कूटनी रिपोर्ट के आधार पर जांच की गई है। /
- )ii (आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी दस्तावेजप्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया था ; दस्तावेज अपलोड नहीं किया है।/कई आवेदकों ने पूरा प्रमाणपत्र ,हालांकि
- )iii (अनुभव की गणना करते समय अंशकालिक / अतिथि संकाय / अतिथि / दैनिक वेतन / घंटे के आधार / स्वरोजगार और व / मानद / सलाहकार / जीईटी / प्रशिक्षु / प्रशिक्षुजीफा के रूप में प्राप्त अनुभव की गणना नहीं की गई है। संबंधित क्षेत्र में अनुबंध के आधार पर अनुभव पर विचार किया गया है।
- अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अंतिम शॉर्ट ईक्यूए :लिस्टिंग मानदंड-i) ईक्यूए + (ii( अपनाए गए तौर-तरीकों के आधार पर, ऑनलाइन भर्ती आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की जांच की गई और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए किसी भी आवेदक को शॉर्ट-लिस्ट नहीं किया गया है:

श्रेणी	साक्षात्कार के लिए बुलाए आवेदक
अनुसूचित जाति	शून्य

- निम्नलिखित उम्मीदवार के आवेदनों को निर्धारित मानदंडों के तहत अपूर्ण पाए जाने पर खारिज कर दिया गया है:

श्रेणी /खारिज करने का कारण	सूची
हमारे सीएफडी पत्रों के जवाब में दस्तावेज जमा न करने के कारण अपूर्ण आवेदन श्रेणी के तहत अस्वीकृत।	अनुक्रमांक; 01 & 02=02 उम्मीदवार

सभी आवेदकों की सूची अनुबंध 'अ' में है।

(परिमल ठाकुर)  
सलाहकार-सह-उप सचिव) भर्ती.।)

## उम्मीदवारों के लिए निर्देश

वे उम्मीदवार जो पद पर भर्ती हेतु शॉर्टलिस्टि करने के लिए अपनाए गए मानदंडों के अनुसार उनके आवेदन अस्वीकृत होने के अनुसरण में अभ्यावेदन करने के करने की इच्छा रखते हैं, वे दिनांक 24.06.2022 तक उचित आधार/ कारणों के साथ मेल द्वारा अभ्यावेदन (sort1.upsc@nic.in) प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तारीख के पश्चात प्रस्तुत ई-मेल पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह के ई-मेल के साथ कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करने है। फिर भी यदि प्रस्तुत किए जाते है तो न तो उन्हें खोला जाएगा, और न ही उन पर विचार या कारवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दर्शाए गए आधार/ कारण अपनाए गए मानदंडों के अनुसार सही पाए जाते है तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्टि किया जाएगा और अन्य को अस्वीकृत रखा जाएगा। इसके पश्चात, यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर अपलोड किए जाएंगे। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का अलग से जवाब नहीं दिया जाएगा।